

**अध्याय-७ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परमर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण**

निगम के समस्त अधिकारी, उपलब्धता की स्थिति में समस्त कार्य दिवसों पर कार्यालय समय में सामान्य जनता से मिलने हेतु उपलब्ध रहते हैं। निगम की योजनाओं के निर्धारण में सामान्य जनता का हस्तक्षेप नहीं है।